

फैक्स सीट

1.	परियोजना का नाम :- क्यारी सुरकण्डा विद्युत लाईन का निर्माण ।	
2.	प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में)	
	आरक्षित वन भूमि :-	0.50 हे०
	सिविल एवं सोयम वन भूमि :-	0.100 हे०
	वन पंचायत भूमि :-	-
	नाप भूमि :-	-
	नोटिफाईड प्राइवेट भूमि :-	-
	योग :-	0.60 हे०
3.	प्रस्तावक विभाग का नाम :- विद्युत वितरण खण्ड नई टिहरी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०	
4.	वन प्रभाग का नाम :- मसूरी वन प्रभाग	
5.	प्रस्ताव बाइंडिंग किंबा गया है :-	हाँ/नहीं
6.	प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है :-	हाँ/नहीं
7.	क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग- 1, 2 व 3 के सभी बिंदुओं की सूचना भरी गयी है:-	हाँ/नहीं
8.	क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है :-	हाँ/नहीं
9.	प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है :-	हाँ/नहीं
10.	प्रस्तावित स्थल पर स्थित वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं
11.	बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं
12.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है :-	हाँ/नहीं लगा नहीं
13.	समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काट जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है :-	हाँ/नहीं लगा नहीं
14.	क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है :-	हाँ/नहीं
15.	क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाणपत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है :-	हाँ/नहीं लगा नहीं
16.	क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है :-	हाँ/नहीं लगा नहीं
17.	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है :-	हाँ/नहीं
18.	क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है :-	हाँ/नहीं
19.	प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाणपत्र संलग्न है :-	हाँ/नहीं
20.	क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है :-	हाँ/नहीं